

क्रमांक : मुसप्र/2021/765

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

दिनांक : 11/11/21

कार्यवाही विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल की "सम्पत्ति आवंटन समिति" की बैठक दिनांक 29-10-2021 को दोपहर 12:00 बजे माननीय प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय सम्पत्ति आवंटन समिति की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुए:-

श्री कुंजीलाल मीणा	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं अध्यक्ष सम्पत्ति आवंटन समिति, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	अध्यक्ष
श्री पवन अरोडा	आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
श्री लेखराज जागृत	निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
श्री नत्थू राम	अति0मु0 अभियंता-प्रथम, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
श्री विजय अग्रवाल	अति0मु0 अभियंता-द्वितीय, राज0आवा0मण्डल, जोधपुर	सदस्य
श्री एम.एल.गुप्ता	तकनीकी सलाहकार, अध्यक्ष, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
श्रीमती संचिता बिश्नाई	सचिव, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
डॉ. प्रीति सिंह पंवार	मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राज0आ0म0, जयपुर	सदस्य सचिव

**बैठक में विशेष आमन्त्रित निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित हुए :-**

1. श्री अनिल माथुर, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0म0, जयपुर।
2. श्रीमती संजय शर्मा, वित्तीय सलाहकार, रा0आ0म0, जयपुर।
3. श्री किशोर चन्द ढाका, उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
4. श्री जे.एस. बुगालिया, उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
5. श्री अमित अग्रवाल, उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।
6. श्री अनिल सक्सेना, उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा, रा0आ0म0, जयपुर।
7. श्री पी.एल.मीणा, आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भिवाड़ी, उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर के प्रतिनिधि, रा0आ0म0, जयपुर।

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही
1	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 12-01-2021 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि बाबत।	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 12-01-2021 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।	CEM
2	सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 12-01-2021 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 12-01-2021 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है।	CEM
3	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर द्वारा श्री चन्दन मल जैन को आवंटित आवास संख्या 33/1, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 111.00 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 33/1 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री चन्दन मल जैन को आवंटित आवास संख्या 33/1, (कार्नर आवास) प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 111.00 वर्ग मीटर भूमि में से नियमानुसार सड़क के घुमाव (Curve) को छोड़ते हुए एवं यदि सड़क के घुमाव पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर रखा है तो उसे खाली करवाकर मण्डल के कार्यालय आदेश	DHC-I, Jaipur



	दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है।	क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	
4	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर द्वारा मण्डल की नसीराबाद आवासीय योजना में सामुदायिक भवन हेतु आरक्षित लगभग 1825.00 वर्ग मीटर भूमि पर नगर पालिका नसीराबाद द्वारा बाउण्ड्रीवाल एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार मण्डल की नसीराबाद आवासीय योजना में सामुदायिक भवन हेतु आरक्षित भूमि पर नगर पालिका नसीराबाद को बाउण्ड्री वाल एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार मण्डल की नसीराबाद आवासीय योजना में सामुदायिक भवन हेतु आरक्षित लगभग 1825.00 वर्ग मीटर भूमि पर नगर पालिका नसीराबाद को बाउण्ड्रीवाल एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है एवं सामुदायिक भवन हेतु आरक्षित भूमि पर मण्डल का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत रहेगा।	DHC-II, Jaipur
5	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा डॉ श्री टी.सी. सदासुखी एवं श्रीमती कीर्ति सदासुखी को आवंटित फ्लैट संख्या 3/97, जवाहर नगर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 51.841 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिसमें टोटल स्टेशन सर्वे के अनुसार उक्त फ्लैट के साईट में पीछे की तरफ 7.44 मीटर की दूरी पर 11 केवी की बिजली की लाईन गुजर रही है। अतः 11 केवी विद्युत लाईन के लिए नियमानुसार भूमि छोड़ते हुए आवंटन की अनुशंसा की गयी है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 3/97 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 51.841 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार डॉ श्री टी.सी. सदासुखी एवं श्रीमती कीर्ति सदासुखी को आवंटित फ्लैट संख्या 3/97, जवाहर नगर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 51.841 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन हेतु जिसमें टोटल स्टेशन सर्वे के अनुसार उक्त फ्लैट के साईट में पीछे की तरफ 7.44 मीटर की दूरी पर 11 केवी की बिजली की लाईन गुजर रही है अतः 11 केवी एवं इससे अधिक की बिजली की लाईन के अंतिम तार (Wire) से नियमानुसार 2 मीटर की क्षेतिज (Horizontal) दूरी छोड़ते हुए उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 51.841 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-III, Jaipur
6	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा श्रीमती राजेश्वरी मीणा को आवंटित आवास संख्या 01/144, खान भांकरी रोड़ आवासीय योजना, दौसा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 87.15 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 1/144 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती राजेश्वरी मीणा को आवंटित आवास संख्या 01/144, खान भांकरी रोड़ आवासीय योजना, दौसा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 87.15 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-III, Jaipur

	की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।		
7	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा श्री दयाचन्द कटारा को आवंटित आवास संख्या 3-बी-7, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 71.40 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर निर्माण कर कब्जा किया हुआ है।</b> प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 3-बी-7 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री दयाचन्द कटारा को आवंटित आवास संख्या 3-बी-7, <b>(कार्नर आवास)</b> महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 71.40 वर्ग मीटर भूमि में से नियमानुसार सड़क के घुमाव (Curve) को छोड़ते हुए एवं यदि सड़क के घुमाव पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर रखा है तो उसे खाली करवाकर तथा आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर अनाधिकृत निर्माण कर कब्जा किये जाने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-Kota
8	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा श्री नन्द सिंह झाला को आवंटित आवास संख्या <b>3-ए-10, सुनेल</b> के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 60.30 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर निर्माण कर कब्जा किया हुआ है।</b> प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 3-ए-10 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री नन्द सिंह झाला को आवंटित आवास संख्या <b>3-ए-10, सुनेल</b> के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 60.30 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर कब्जा किये जाने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-Kota
9	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा श्री विद्याधर विजय को आवंटित आवास संख्या 3-सी-46, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 77.10 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर कब्जा किया हुआ है।</b> प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 3-सी-46 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री विद्याधर विजय को आवंटित आवास संख्या 3-सी-46, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 77.10 वर्ग मीटर भूमि में से नियमानुसार सड़क के घुमाव (Curve) को छोड़ते हुए एवं यदि सड़क के घुमाव पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर रखा है तो उसे खाली करवाकर तथा आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर कब्जा किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-Kota

10	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा श्री राजा राम चन्देल को आवंटित आवास संख्या 4-W-8 कार्नेर, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 59.85 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवास का कॉर्नेर स्टेटस कायम रखने हेतु प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 4-W-8 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री राजा राम चन्देल को आवंटित आवास संख्या 4-W-8 कार्नेर, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 59.85 वर्ग मीटर भूमि में से नियमानुसार सड़क के घुमाव (Curve) को छोड़ते हुए एवं यदि सड़क के घुमाव पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर रखा है तो उसे खाली करवाकर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/ 2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-Kota
11	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा श्री प्रतीक अग्रवाल एवं श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल को आवंटित आवास संख्या 5-बी-26, विज्ञान नगर, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 160.57 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर निर्माण कर कब्जा किया हुआ है।</b> प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 5-बी-26 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री प्रतीक अग्रवाल एवं श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल को आवंटित आवास संख्या 5-बी-26, विज्ञान नगर, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 160.57 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा बाउण्ड्रीवाल बनाकर कर निर्माण कर कब्जा किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/ 2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-Kota
12	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार एवं श्रीमती पुष्पा गुप्ता को आवंटित आवास संख्या 5-बी-7, विज्ञान नगर, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 163.955 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर बाउण्ड्रीवाल बना कर कमरों का निर्माण कर कब्जा किया हुआ है।</b> प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 5-बी-7 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री सत्येन्द्र कुमार एवं श्रीमती पुष्पा गुप्ता को आवंटित आवास संख्या 5-बी-7, विज्ञान नगर, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 163.955 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा बाउण्ड्रीवाल बना कर कमरों का निर्माण कर कब्जा किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-Kota
13	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-पी.एच.ई.-द्वितीय, जयपुर एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर द्वारा मण्डल की शाहपुरा आवासीय योजना, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा में पेयजल सिस्टम विकसित करने हेतु 2186.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-पी.एच.ई.-द्वितीय, जयपुर एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार 2186.35 वर्ग मीटर भूमि को शाहपुरा आवासीय योजना, भीलवाड़ा में पेयजल सिस्टम विकसित करने हेतु भूमि	DHC-Udaipur



	35 वर्ग मीटर भूमि को आरक्षित/आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार शाहपुरा आवासीय योजना, भीलवाड़ा में पेयजल सिस्टम विकसित करने हेतु भूमि आरक्षित/आवंटन करने हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	आरक्षित/आवंटन करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है।	
14	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर द्वारा श्री पदम चन्द सिंघल को आवंटित आवास संख्या 64/287, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 61.50 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा 16.50 वर्ग मीटर भूमि निर्माण कर कब्जा किया हुआ है।</b> प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 64/287 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री पदम चन्द सिंघल को आवंटित आवास संख्या 64/287, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 61.50 वर्ग मीटर भूमि में से नियमानुसार सड़क के घुमाव (Curve) को छोड़ते हुए एवं यदि सड़क के घुमाव पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर रखा है तो उसे खाली करवाकर तथा आवंटी द्वारा 16.50 वर्ग मीटर भूमि निर्माण कर कब्जा किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-I, Jaipur
15	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता को आवंटित आवास संख्या 64/219, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 81.00 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 64/219 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री अशोक कुमार गुप्ता को आवंटित आवास संख्या 64/219, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 81.00 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-I, Jaipur
16	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर द्वारा श्री दुर्गादत्त दशोरा को आवंटित आवास संख्या 121/80, मानसरोवर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 67.50 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा अतिरिक्त भू-पट्टी पर तारबंदी कर अपने क्षेत्राधिकार में किया हुआ है तथा आवेदक ने अतिरिक्त भू-पट्टी की तरफ खिड़की दरवाजे निकाल रख है।</b> प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 121/80 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री दुर्गादत्त दशोरा को आवंटित आवास संख्या 121/80, मानसरोवर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 67.50 वर्ग मीटर भूमि में से नियमानुसार सड़क के घुमाव (Curve) को छोड़ते हुए एवं यदि सड़क के घुमाव पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर रखा है तो उसे खाली करवाकर तथा आवंटी द्वारा अतिरिक्त भू-पट्टी पर तारबंदी कर कब्जा किया हुआ होने व आवंटी द्वारा अतिरिक्त भू-पट्टी की तरफ खिड़की दरवाजे निकाल रखा होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301	DHC-II, Jaipur



	आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	
17	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर द्वारा श्री धीरज सिंघल को आवंटित फ्लैट संख्या 22/23/01, मानसरोवर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 70.94 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार फ्लैट संख्या 22/23/01 (भूतल) के पृष्ठ भाग से लगती हुई है एवं सैक्टर-2 के आन्तरिक क्षेत्र में स्थित है एवं पहुंच मार्ग भी सुगम नहीं है। जिसके लिए सड़क की चौड़ाई यथावत रखते हुए उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 70.94 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री धीरज सिंघल को आवंटित फ्लैट संख्या 22/23/01, मानसरोवर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 70.94 वर्ग मीटर भूमि फ्लैट संख्या 22/23/01 (भूतल) के पृष्ठ भाग से लगती हुई होने के कारण सड़क की चौड़ाई यथावत को रखते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-II, Jaipur
18	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा डॉ. नेहा प्रसाद एवं डॉ. प्रेम रतन को आवंटित आवास संख्या 6/384, मालवीय नगर, जयपुर के साईड में स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 50.40 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। सड़क की चौड़ाई यथावत रखते हुए उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 50.40 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार डॉ. नेहा प्रसाद एवं डॉ. प्रेम रतन को आवंटित आवास संख्या 6/384, मालवीय नगर, जयपुर के साईड में स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 50.40 वर्ग मीटर भूमि सड़क की चौड़ाई को यथावत रखते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-III, Jaipur
19	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा श्रीमती संगीता मीणा एवं श्री पिन्टू कुमार मीणा को आवंटित आवास संख्या 1/137, उच्च आय वर्ग, खान भांकरी रोड़, दौसा के पास में स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 87.15 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 87.15 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती संगीता मीणा एवं श्री पिन्टू कुमार मीणा को आवंटित आवास संख्या 1/137, उच्च आय वर्ग, खान भांकरी रोड़, दौसा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 87.15 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-III, Jaipur
20	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा	DHC-III,


	द्वारा श्री लाला राम मीणा को आवंटित विकसित भूखण्ड संख्या 3/MA/388, इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर के पास में स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 70.40 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 70.40 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री लाला राम मीणा को आवंटित विकसित भूखण्ड संख्या 3/MA/388, इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 70.40 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	Jaipur
21	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर द्वारा श्री इमरत दीन एवं श्री शिव कुमार गुप्ता को आवंटित आवास संख्या 5/14, एन.ई.बी.-82 आवासीय योजना, अलवर के सामने स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 106.37 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा 11.44 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।</b> उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 106.37 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री इमरत दीन एवं श्री शिव कुमार गुप्ता को आवंटित आवास संख्या 5/14, एन.ई.बी.-82 आवासीय योजना, अलवर के सामने स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 106.37 वर्ग मीटर भूमि में से नियमानुसार सड़क के घुमाव (Curve) को छोड़ते हुए एवं यदि सड़क के घुमाव पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर रखा है तो उसे खाली करवाकर तथा आवंटी द्वारा 11.44 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC- Alwar
22	मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 21-09-2012 के विचार बिन्दु संख्या-12 में मण्डल की मुक्ता प्रसाद नगर योजना के सैक्टर-11, बीकानेर में 360.00 वर्ग मीटर भूमि सर्वसम्मति से वृद्धाश्रम भवन के निर्माण हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निःशुल्क आवंटित की गयी थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धाश्रम हेतु आवंटित भूमि पर आज दिनांक तक निर्माण कार्य नहीं करने पर मण्डल द्वारा उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर नोटिस प्रेषित किये गये। उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर द्वारा पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि	मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 21-09-2012 के विचार बिन्दु संख्या-12 में मण्डल की मुक्ता प्रसाद नगर योजना के सैक्टर-11, बीकानेर में 360.00 वर्ग मीटर भूमि सर्वसम्मति से वृद्धाश्रम भवन के निर्माण हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निःशुल्क आवंटित की गयी थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धाश्रम हेतु आवंटित भूमि पर आज दिनांक तक निर्माण कार्य नहीं किया गया है। उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर द्वारा पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि बीकानेर जिले में सम्भाग स्तरीय वृद्धाश्रम भवन निर्माण हेतु नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा वृन्दावन ऐनक्लेव, जयपुर रोड़ पर	CEM

	<p>बीकानेर जिले में सम्भाग स्तरीय वृद्धाश्रम भवन निर्माण हेतु नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा वृन्दावन ऐनक्लेव, जयपुर रोड़ पर निःशुल्क भूमि का आवंटन किया गया है एवं वहां पर वृद्धाश्रम भवन का निर्माण किया जाकर वर्तमान में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है। साथ ही मण्डल द्वारा मुक्ता प्रसाद नगर सैक्टर 11 आई 1 में आवंटित 360.00 वर्ग मीटर भूमि को छात्रावास के निर्माण हेतु परिवर्तित कर उक्त आवंटित भूमि का कब्जा एवं मौका नक्शा की प्रति उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया है।</p> <p>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को मण्डल की मुक्ता प्रसाद नगर योजना, बीकानेर में वृद्धाश्रम हेतु निःशुल्क आवंटित 360.00 वर्ग मीटर भूमि का प्रयोजन वृद्धाश्रम से बदल कर छात्रावास करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>निःशुल्क भूमि का आवंटन किया गया है एवं वहां पर वृद्धाश्रम भवन का निर्माण किया जाकर वर्तमान में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है। साथ ही मण्डल द्वारा मुक्ता प्रसाद नगर सैक्टर 11 आई 1 में आवंटित 360.00 वर्ग मीटर भूमि को छात्रावास के निर्माण हेतु परिवर्तित कर उक्त आवंटित भूमि का कब्जा एवं मौका नक्शा की प्रति उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया है।</p> <p>समिति के समक्ष प्रस्तावानुसार उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर को मण्डल की मुक्ताप्रसाद नगर योजना, बीकानेर में वृद्धाश्रम हेतु निःशुल्क आवंटित 360.00 वर्ग मीटर भूमि का प्रयोजन वृद्धाश्रम से बदल कर छात्रावास निर्माण करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।</p>	
23	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर द्वारा श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री कालूराम को आवंटित आवास सख्या 64/90, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर से लगती हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 69.00 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 69.00 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री कालूराम को आवंटित आवास सख्या 64/90, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर से लगती हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 69.00 वर्ग मीटर भूमि में से नियमानुसार सड़क के घुमाव (Curve) को छोड़ते हुए एवं यदि सड़क के घुमाव पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर रखा है तो उसे खाली करवाकर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/ 150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।</p>	DHC-I, Jaipur
24	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा श्री रामस्वरूप काबरा पुत्र श्री रामगोपाल काबरा को आवंटित आवास सख्या 5-बी-33, विज्ञान नगर, कोटा साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 162.00 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर बाउण्ड्रीवॉल एवं एक कमरे का निर्माण किया हुआ है। सड़क पर कोई अतिक्रमण नहीं है।</p>	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री रामस्वरूप काबरा पुत्र श्री राम गोपाल काबरा को आवंटित आवास सख्या 5-बी-33, विज्ञान नगर, कोटा के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 162.00 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा बाउण्ड्रीवॉल एवं एक कमरे का निर्माण किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर</p>	DHC-Kota





	उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 162.00 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	
25	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर द्वारा श्रीमती पवित्रा शर्मा पत्नी श्री आर.पी. शर्मा को आवंटित आवास सख्या 3/272, एस. डब्ल्यू. बी. योजना, अलवर पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 24.00 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर शौचालय का पक्का निर्माण किया हुआ है।</b> उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 24.00 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती पवित्रा शर्मा पत्नी श्री आर. पी. शर्मा को आवंटित आवास सख्या 3/272, एस.डब्ल्यू.बी. योजना, अलवर पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 24.00 वर्ग मीटर भूमि में से नियमानुसार सड़क के घुमाव (Curve) को छोड़ते हुए एवं यदि सड़क के घुमाव पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर रखा है तो उसे खाली करवाकर तथा आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर शौचालय का पक्का निर्माण एवं तारबंदी कर कब्जा किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/ 2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC- Alwar
26	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा श्री प्रत्युष शर्मा एवं श्री प्रशस्य शर्मा पुत्रांन श्री विष्णुदत्त शर्मा को आवंटित आवास सख्या 5-बी-12, विज्ञान नगर, कोटा के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 163.80 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर बाउण्ड्रीवॉल बनाकर निर्माण/कब्जा किया हुआ है।</b> सड़क पर कोई अतिक्रमण नहीं है। उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 163.80 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री प्रत्युष शर्मा एवं श्री प्रशस्य शर्मा पुत्रांन श्री विष्णुदत्त शर्मा को आवंटित आवास सख्या 5-बी-12, विज्ञान नगर, कोटा के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 163.80 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा बाउण्ड्रीवॉल बनाकर निर्माण/ कब्जा किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/ 2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC- Kota
27	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा श्री अमजद खान पुत्र श्री मोहम्मद मियां को आवंटित आवास सख्या 5-बी-19, विज्ञान नगर, कोटा के साथ लगती हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 162.435 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर बाउण्ड्रीवाल व टीन शेड आदि निर्माण कर कब्जा किया हुआ है।</b> सड़क पर कोई अतिक्रमण नहीं है। उपलब्ध अतिरिक्त	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री अमजद खान पुत्र श्री मोहम्मद मियां को आवंटित आवास सख्या 5-बी-19, विज्ञान नगर, कोटा के साथ लगती हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 162.435 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा बाउण्ड्रीवाल व टीन शेड आदि निर्माण कर कब्जा किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल	



	भू-पट्टी 162.435 वर्ग मीटर मण्डल को कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/ 2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	
28	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर द्वारा श्री अनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री हुकम चन्द गर्ग को आवंटित आवास सख्या 5/8, एन.ई.बी.-82, अलवर के साथ लगती हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 67.50 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 67.50 वर्ग मीटर मण्डल को कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री अनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री हुकम चन्द गर्ग को आवंटित आवास सख्या 5/8, एन.ई.बी.-82, अलवर के साथ लगती हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 67.50 वर्ग मीटर भूमि में से 1.80 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/ 2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-Alwar
29	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर द्वारा श्री गुरु नानक देव सत्संग सभा एज्युकेशन बोर्ड (रजि.), राजा पार्क, जयपुर को CBSC 10+2 तक का विद्यालय हेतु भूखण्ड सख्या बी-2 क्षेत्रफल 2608.34 वर्ग मीटर एवं स्नातक महाविद्यालय (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) संकाय खोलने हेतु भूखण्ड सख्या बी-1 क्षेत्रफल 3088.18 वर्ग मीटर भूमि मण्डल द्वारा निर्धारित वर्तमान संस्थानिक भूमि की आरक्षित दर व नियमानुसार देय अन्य राशियां वसूलते हुए आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री गुरु नानक देव सत्संग सभा एज्युकेशन बोर्ड (रजि.), राजा पार्क, जयपुर को CBSC 10+2 तक का विद्यालय हेतु भूखण्ड सख्या बी-2 क्षेत्रफल 2608.34 वर्ग मीटर एवं स्नातक महाविद्यालय (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) संकाय खोलने हेतु भूखण्ड सख्या बी-1 क्षेत्रफल 3088.18 वर्ग मीटर भूमि मण्डल द्वारा निर्धारित वर्तमान संस्थानिक भूमि की आरक्षित दर व नियमानुसार देय अन्य राशियां वसूलते हुए आवंटन का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है। परन्तु माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार/अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं किये जाने के कारण स्थगित (Deffer) किया जाता है।	DHC-I, Jaipur
30	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भरतपुर द्वारा श्री दिनेश चन्द को आवंटित आवास सख्या 06 घरौंदा, एस.टी.सी. स्कीम, भरतपुर के पास स्थित हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 17.75 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर निर्माण किया हुआ है।</b> उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 17.75 वर्ग मीटर मण्डल को कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भरतपुर एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री दिनेश चन्द को आवंटित आवास सख्या 06 घरौंदा, एस.टी.सी. स्कीम, भरतपुर के पास स्थित हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 17.75 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा निर्माण किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/ 2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-Alwar
31	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा	DHC-III,

  
\_\_\_\_\_

<p>द्वारा डॉ श्री त्रिलोक चन्द सदासुखी को आवंटित फ्लैट संख्या 3/99, जवाहर नगर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 53.795 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिसमें टोटल स्टेशन सर्वे के अनुसार उक्त फ्लैट के साईट में 7.62 मीटर सामने की ओर तथा 7.53 मीटर पीछे की ओर पर 11 केवी की बिजली की लाईन गुजर रही है। अतः 11 केवी विद्युत लाईन के लिए नियमानुसार भूमि छोड़ते हुए आवंटन की अनुशंसा की गयी है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 3/99 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 53.795 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>प्रस्तुत प्रस्तावानुसार डॉ श्री त्रिलोक चन्द सदासुखी को आवंटित फ्लैट संख्या 3/99, जवाहर नगर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 53.795 वर्ग मीटर भूमि जिसमें टोटल स्टेशन सर्वे के अनुसार उक्त फ्लैट के साईट में 7.62 मीटर सामने की ओर तथा 7.53 मीटर पीछे की तरफ पर 11 केवी की बिजली की लाईन गुजर रही है। अतः 11 केवी विद्युत लाईन के लिए नियमानुसार भूमि छोड़ते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।</p>	<p>Jaipur</p>
--	---	---------------

### टेबल एजेण्डा

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही
1	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर, द्वारा पंजाबी सभा सोसायटी, भिवाड़ी को सामुदायिक भवन हेतु मण्डल की अरावली विहार योजना, भिवाड़ी के सैक्टर-3 में ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित 1500.00 वर्ग मीटर भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अतः मण्डल द्वारा निर्धारित वर्तमान संस्थानिक भूमि की आरक्षित दर व नियमानुसार देय अन्य राशियां वसूलते हुए आवंटन हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर, द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार पंजाबी सभा सोसायटी, भिवाड़ी को सामुदायिक भवन हेतु मण्डल की अरावली विहार योजना, भिवाड़ी के सैक्टर-3 में ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित 1500.00 वर्ग मीटर भूमि मण्डल द्वारा निर्धारित वर्तमान संस्थानिक भूमि की आरक्षित दर व नियमानुसार देय अन्य राशियां वसूलते हुए आवंटन का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है। परन्तु माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार/अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं किये जाने के कारण स्थगित (Deffer) किया जाता है।</p>	
2	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा श्री खेम सिंह राठौड़ पुत्र श्री केसरी सिंह को आवंटित आवास संख्या 14/38, मालवीय नगर, जयपुर के साथ लगती हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 147.60 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 147.60 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री खेम सिंह राठौड़ पुत्र श्री केसरी सिंह को आवंटित आवास संख्या 14/38, मालवीय नगर, जयपुर के साथ लगती हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 147.60 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।</p>	<p>DHC-III, Jaipur</p>

*Key*

3	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा श्री खलील अहमद पुत्र श्री हुसैन बेग को आवंटित आवास संख्या 8-बी-23, महावीर नगर-तृतीय, कोटा के साथ लगती हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 157.50 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर निर्माण कर कब्जा किया हुआ है।</b> उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 157.50 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री खलील अहमद पुत्र श्री हुसैन बेग को आवंटित आवास संख्या 8-बी-23, महावीर नगर-तृतीय, कोटा के साथ लगती हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 157.50 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा निर्माण कर कब्जा किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।</p>	DHC-Kota
4	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा श्री अशोक कुमार गौतम पुत्र श्री राम चन्द्र त्रिपाठी को आवंटित आवास संख्या 2-बी-1, रंगबाड़ी, कोटा के साथ लगती हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 102.60 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। <b>आवंटी द्वारा भू-पट्टी पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर निर्माण कर रखा है।</b> सड़क पर कोई अतिक्रमण नहीं है। उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 102.60 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री अशोक कुमार गौतम पुत्र श्री राम चन्द्र त्रिपाठी को आवंटित आवास संख्या 2-बी-1, रंगबाड़ी, कोटा के साथ लगती हुई अतिरिक्त भू-पट्टी माप 102.60 वर्ग मीटर भूमि में से नियमानुसार सड़क के घुमाव (Curve) को छोड़ते हुए एवं यदि सड़क के घुमाव पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर रखा है तो उसे खाली करवाकर तथा आवंटी द्वारा बाउण्ड्रीवाल बनाकर निर्माण कर रखा होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।</p>	DHC-Kota
5	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर द्वारा डॉ निर्मल अग्रवाल एवं डॉ. राज कुमार अग्रवाल को आवंटित प्लैट संख्या 22/12/01, मानसरोवर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 97.147 वर्ग मीटर भूमि (खांचा भूमि) के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 147.60 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार डॉ निर्मल अग्रवाल एवं डॉ. राज कुमार अग्रवाल को आवंटित प्लैट संख्या 22/12/01, मानसरोवर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 97.147 वर्ग मीटर भूमि (खांचा भूमि) मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।</p>	DHC-II, Jaipur
6	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा श्री हर्ष कुमार जैन को आवंटित आवास संख्या 9-जी-1, (कार्नर) महावीर नगर-तृतीय, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 208.98 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है।</p>	<p>उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री हर्ष कुमार जैन को आवंटित आवास संख्या 9-जी-1 (कार्नर), महावीर नगर-तृतीय, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 208.98 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा निर्माण किया हुआ होने के कारण कार्यालय</p>	DHC-Kota


  
\_\_\_\_\_

भू-पट्टी पर आवंटी द्वारा निर्माण किया हुआ है। उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 208.98 वर्ग मीटर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/ 2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।
---	--

नोट:- मण्डल द्वारा आवंटित फ्लैटों के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी पर निर्माण स्वीकृति की अवस्था में भू-पट्टी स्वामी द्वारा उस पर बहुमंजिला निर्माण करवाने की स्थिति में मण्डल द्वारा निर्मित फ्लैटों की निजता का हनन होने व भवन विनियमों के विरुद्ध अवैध निर्माण होने की सम्भवना है। निर्माण स्वीकृति की अवस्था में भू-पट्टी स्वामी द्वारा मण्डल द्वारा आवंटित फ्लैटों की संरचना में छेड़खानी/रद्दोबदल कर निर्मित फ्लैटों की सुरक्षा को खतरा/भू-उपयोग के परिवर्तन की सम्भावना है।


- 1- उक्त परिस्थितियों की सम्भवना को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 12-01-2021 की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि फ्लैटों के पास उपलब्ध भू-पट्टी को बिना किसी निर्माण स्वीकृति के ही आवंटित किया जायेगा तथा आवंटित की जाने वाली भू-पट्टी को खाली रखना होगा तथा उक्त भूमि को पार्किंग/पेड़ पौधे लगाने के उपयोग में ही लिया जा सकेगा।
- 2- मण्डल द्वारा निर्मित दो/तीन मंजिले फ्लैटों के पास उपलब्ध भू-पट्टी को प्रथम/द्वितीय तल के आवंटी को भी उनकी सहमति उपरान्त भूतल पर उपलब्ध भू-पट्टी में से भूमि आवंटित की जा सकेगी।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक  
सदस्य सचिव (पीएसी)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय सम्पत्ति आवंटन समिति, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2-निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 3-निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 4-अतिरिक्त निजी सचिव, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 5-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
- 6-तकनीकी सलाहकार, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 7-अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 8-निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 9-उप आवासन आयुक्त, वृत्त-----, राजस्थान आवासन मण्डल, .....।
- 10-रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक